

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

(8)

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

पत्रांक: 355 / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2014-15, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

विषय: जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत
सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 4064 / 1 सी0, दिनांक 12.12.2014, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली / रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या आपके सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2014-15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

229

नि0आ0सं0-355/जि0टा0फो0 च0/रू0/मोटर मार्ग/2014-15

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के पत्रांक 4064/1 सी0, दिनांक 12.12.2014, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री मकान लाल शाह एवं श्री अभिषेक रावत, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग की उपस्थिति में उपरोक्त मोटर मार्ग समरेखण का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :-

अवस्थिति :

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 11.000 में अवस्थित ग्राम कनोठ से आगे प्रारम्भ किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण की कुल लम्बाई 3.450 कि०मी० प्रस्तावित है जिसमें मोटर मार्ग को 04 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ निर्मित किया जाना है। हेयरपिन बैण्ड्स का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि हेयरपिन बैण्ड्स एक-दूसरे के ऊपर कदापि निर्मित न हों।

भूगर्भीय स्थिति :

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण भूगर्भीय स्थिति के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में लेसर हिमालयन जोन के मुख्य केन्द्रीय भ्रंश (मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट) के दक्षिण में अवस्थित है, जिसमें मुख्यतः गढ़वाल समूह की चट्टानें, जो कि स्थल पर मुख्यतः क्वार्टजिटिक प्रकृति की चट्टानों के साथ सहायक, फिलाइट चट्टानें भी समरेखण के मध्य दृष्टिगत होती हैं। क्वार्टजिटिक चट्टानें, जो कि मैसिव फ्रैश, हार्ड व कॉम्पैक्ट है। उक्त चट्टानें मोटर मार्ग समरेखण में नैनी इन्टर कॉलेज से शैलेश्वर मन्दिर तक अवस्थित हैं। समरेखण के शेष भाग में फिलाइट प्रकृति की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं जो कि थिनली फोलिएटेड व पार्सिलली वेदर्ड प्रकृति की सतह पर विद्यमान हैं। मार्ग समरेखण के पहाड़ी ढालों पर अवस्थित चट्टानें अधिकांश भूभाग में ओवरवर्डन के साथ विद्यमान हैं। जिसमें कतिपय स्थलों पर सीढ़ीनुमा कृषियुक्त खेतों के साथ भूआकृति अवस्थित है। समरेखण के मध्य में स्थानीय प्रजाति के वृक्ष व झाड़ियाँ विद्यमान हैं।

क्वार्टजिटिक चट्टानें प्रथम दृष्ट्या मोटर मार्ग समरेखण निर्माण हेतु कठोर व दृढ़ प्रकृति की विद्यमान हैं। जबकि फिलाइट प्रकृति की चट्टानें सतह पर वेदर्ड प्रकृति के साथ कतिपय स्थलों पर दृष्टिगोचर होती हैं जिसमें कि फिलाइट प्रकृति की चट्टानें कतिपय स्थलों पर थिन बैडिंग प्लेन के साथ अवस्थित हैं। मार्ग समरेखण स्थल के पहाड़ी ढालों पर अवस्थित ओवरवर्डन मटिरियल गहराईयुक्त परत के साथ विद्यमान है जो कि वर्तमान में दृढ़ संयोजन के साथ पहाड़ी ढाल पर अवस्थित है। समरेखण स्थल के निचले एवं ऊपरी पहाड़ी ढाल वर्तमान समय में स्थिर एंगिल ऑफ रिपोज के साथ विद्यमान प्रतीत होते हैं तथा इन पर सक्रिय भूस्खलन/भूधसांव दृष्टिगोचर नहीं होता है।

उक्त मोटर मार्ग समरेखण में अवस्थित चट्टानों की नति लगभग 45° उत्तरपूरब विद्यमान है जो कि कतिपय पहाड़ी ढालों के समान्तर अवस्थित हैं। सम्पूर्ण पहाड़ी ढाल लगभग दक्षिणपश्चिम फेसिंग के साथ अवस्थित है।

मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. प्रश्नगत स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाय।
2. मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल (वीप होल्स व स्क्रीनिंग मटरियल युक्त) का आधार जहाँ तक सम्भव हो दृढ़ व कठोर ताजा (फ्रेश) चट्टानों अथवा उचित भूअभियांत्रिकी के साथ रखना आवश्यक होगा।
3. मार्ग समरेखण निर्माण यथासम्भव हाफ कट-हाफ फिल तकनीकी द्वारा किया जाय व फिल मटरियल को अच्छी तरह कॉम्पैक्ट किया जाय।
4. हिल स्लोप डेबरी जमाव को सीढ़ीनुमा आकार में विकसित करना भावी डेबरी फलो को स्थिर करने में सहायक हो सकता है।
5. मोटर मार्ग समरेखण के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से नियन्त्रित कर कॉजवे स्कपर व सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
6. समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय अथवा परमिसिविल लिमिट तक किया जाना उचित होगा, अन्यथा चट्टानों में व्याप्त दरारों एवं जोड़ों के खुल जाने के कारण चट्टानों के फिसलन को त्वरित गति प्रदान के साथ भूस्खलन की सम्भावना हो सकती है।
7. समरेखण में बनाये जाने वाली सुरक्षा धारक दीवारों/टो वाल, ब्रेस्टवाल व रिटेनिंग वाल (वीप होल्स व स्क्रीनिंग मटरियल युक्त) के आधार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्थलों में जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जल, दीवार के आधार की ओर न जाने पाय तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तः सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध किये जाय।
8. समरेखण के मध्य पड़ने वाले बरसाती नालों को पक्का कॉजवे बनाकर इस प्रकार संरक्षित/संचारित किया जाय जिससे कि सतही जल से मार्ग की सतह एवं आधार को क्षति न पहुँचे।
9. मोटर मार्ग समरेखण कटाव के पश्चात् अपस्लोप व डाउनस्लोप में वृक्षारोपण, तीव्र उगने वाली, चौड़े पत्तियों तथा घनी जड़ों वाले पौधों का रोपण सतही जल प्रवाह व अधोभूमि जल रिसाव (पोर प्रेशर) को कम करने में सहायक होगा।
10. प्रत्येक ढाल की मृदा को सुरक्षित रखते हुये भूप्रकृति/भूआकृति के अनुरूप सीढ़ीनुमा सोपानों में विकसित किया जाय, ताकि स्थल भूआकृति व प्रकृति के अनुरूप रह कर सुरक्षित हो सके।
11. समरेखण स्थल पर भूस्खलन/भूधसांव से बचने के लिए मार्ग समरेखण कटाव में विस्फोटकों का प्रयोग परमिसिविल सीमा तक ही किया जाना उचित होगा।

12. पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्ग समरेखण निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
13. मोटर मार्ग समरेखण कटाव से उत्सर्जित मलवा, पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/एकत्रित किया जाय ताकि मड पलो व भूस्खलन/भूधसांव से बचा जा सके।

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर एकत्रित किए गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव एवं शर्तों के साथ प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।



(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक